प्रमाणित प्रतिलिपि



# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

**(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर०ए०एस०)**

**अपील संख्या : 34/2018**

मोहन सिंह पुत्र रामभरोसी जाति गूजर निवासी ब्रहमबाद तहसील बयाना जिला भरतपुर।

अपीलान्ट

**बनाम**

1. अखलेश कुमार पुत्र टीकमचन्द जाति ब्राहमण निवासी सिंघाडा तहसील बयाना जिला भरतपुर
2. तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर।

रैस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 वरूद्व आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 23.04.2018 नामान्तरकरण संख्या 681 ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना

उपस्थित :– 1 श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2 श्री दुलीचन्द शर्मा, अभिभाषक रैस्पो0 1
3 राजकीय अभिभाषक रैस्पो0 2

**निर्णय**

दिनांक : 31.12.2020

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार बयाना दिनांक 23.04.2018 पेश की गई है। तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 681 ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना रैस्पो0 के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा दी गई है। नामान्तरकरण संख्या 681 ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली नामान्तरकरण संख्या 681 की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनो को दोहेराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 खिलाफ कानून व रूपेदाद मिसिल है जो काबिल मन्सूखी हैं आराजी खसरा नम्बर 1109 / 1131 वाकै ग्राम ब्रहमबाद तहसील बयाना में अपीलान्ट व रैसपोडेन्ट नम्बर 1 सहखातेदार काश्तकार है जिसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर में पैन्डिग है तथा वहां से स्थगन आदेश भी निकला हुआ है लेकिन तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विचार नहीं कर नामान्तरकरण स्वीकार किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 681 दिनांक 23.04.2018 अपीलान्ट के बैकपर भरा गया है अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है तहत अदालत ने अपीलान्ट के बैकपर बिना नोटिस दिये आज्ञा पारित की है। अन्त में योग्य अभिभाषक ने अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने जाहिर किया कि अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के समक्ष अपील दिनांक 02.05.2018 को पेश की है और दिनांक 02.05.2018 को उक्त अपील में स्थगन आदेश जारी किया गया है। तहसीलदार बयाना ने नामान्तरकरण संख्या 681 ग्राम ब्रहमबाद दिनांक 23.04.2018 को स्वीकार किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि दिनांक 23.04.2018 को नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है उस वक्त स्थगन नहीं था। तहत न्यायालय ने नामान्तरकरण स्वीकार करने में कोई अनियमितता नहीं की है। अन्त में योग्य अभिभाषक रैस्पो0 ने अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण संख्या 681 दिनांक 23.04.2018 का अवलोकन

किया गया। अपीलान्ट का मुख्य तर्क है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 681 पर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर से स्थगन होते हुये नामान्तरकरण स्वीकार किया है जो नियम विरूद्ध होना बताया है। हमने पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आर्डरसीट स्थगन दिनांक 02.05.2018 माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर को अवलोकन किया गया। इससे स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 02.05.2018 को स्थगन आदेश जारी किया गया है जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 681 दिनांक 23.04.2018 को स्वीकार किया गया है। इससे यह निर्विवाद है कि नामान्तरकरण संख्या 681 स्वीकार किये जाने की दिनांक 23.04.2018 को कोई स्थगन आदेश नहीं था और अपीलान्ट द्वारा भी ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे दिनांक 23.04.2018 को स्थगन आदेश होना साबित होता हो। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 681 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अपीलान्ट यदि निर्णय माननीय न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर दिनांक 05.09.2018 की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व की स्थिति बहाल करवाना चाहता है तो अपीलान्ट 144 सिविल प्रकिया संहिता के तहत कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। अतः अपील अपीलान्ट काबिल खारिजी के रहती है।

**अतः आदेश है कि:–**

उपरोक्त विवेचनानुसार आपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दि. 31.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

**(बीना महावर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर,**
**भरतपुर (राज.)**